Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

जून (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- विशेष दर्जा 3
- बिहार में नए रामसर स्थल 3
- बिहार में सतत् विकास 5
- बिहार के लिये विशेष श्रेणी का दर्जा 5
- मादक पदार्थों की तस्करी 6
- NEET लीक विवाद 8
- नालंदा विश्वविद्यालय 8
- पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कोटा वृद्धि को रद्द किया 9
- बिहार में पुल ढहा 10
- महागठबंधन शासन के दौरान दी गई संविदा रद्द 10
- बिहार में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून की तैयारी 10

नोट :

बिहार

विशेष दर्जा

चर्चा में क्यों ?

आम चुनावों के बाद, **जनता दल (यूनाइटेड)** और **तेलुगु देशम पार्टी** केंद्र में सरकार गठन में प्रभावशाली पार्टी के रूप में उभरी हैं।

- **बिहार और आंध्र प्रदेश** के लिये **विशेष श्रेणी का दर्जा** हासिल करने पर उनके नए ज़ोर ने इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **विशेष श्रेणी का दर्जा** केंद्र सरकार द्वारा **भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों** का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिये प्रदान किया गया वर्गीकरण है।
  - वर्तमान में भारत में 11 राज्य SCS से युक्त हैं, जिनमें **अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा** तथा **उत्तराखंड** शामिल हैं।
- विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को **अधिक वित्तपोषण जैसे लाभ** प्रदान करता है, जिसमें **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये 90% धनराशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है।**
  - ये राज्य एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक अप्रयुक्त निधियों को आगे बढ़ा सकते हैं और कर रियायतों का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें केंद्र के सकल बजट से 30% तक अधिक आवंटन भी मिलता है।

विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status- SCS)

- **संविधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है** और यह वर्गीकरण बाद में वर्ष **1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर** किया गया था।
- **पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड** को यह दर्जा दिया गया था
- पूर्व में **योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद** द्वारा योजना के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।
- **SCS, विशेष स्थिति से अलग** है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केवल आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।

बिहार में नए रामसर स्थल

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, बिहार के दो **वेटलैंड्स/आर्द्रभूमियों** को **रामसर कन्वेंशन** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची** में जोड़ा गया है।

- इससे भारत में ऐसे वेटलैंड्स की कुल संख्या 82 हो गई है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- बिहार के जमुई ज़िले में **नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य** अब रामसर कन्वेंशन का हिस्सा हैं।
  - दोनों पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से **नकटी बाँध** के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिये विकसित **मानव निर्मित वेटलैंड्स** पर बनाए गए हैं।
  - दोनों अभयारण्यों को **सर्दियों के दौरान प्रवासी प्रजातियों के आवास** के रूप में उनके महत्त्व के कारण वर्ष 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।
  - इसमें इंडो-गंगा के मैदान पर **रेड-क्रेस्टेड पोशर्ड (*Netta rufina*)** और **बार-हेडेड गीज़ (*Anser indicus*)** का सबसे बड़ा समूह शामिल है। इस जलग्रहण क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे **शुष्क पर्णपाती वन** हैं।

- **वनस्पति और जीव:**
  - ये आर्द्रभूमि पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पादप, सरीसृपों और उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करती हैं।
  - ये संकटग्रस्त **भारतीय हाथी** और सुभेद्य देशी कैटफिश जैसी वैश्विक रूप से संकटापन्न प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं।
  - **एशियाई जलपक्षी जनगणना- 2023** के अनुसार, **नकटी पक्षी अभयारण्य में 7,844 पक्षी** पाए गए, जो सर्वेक्षण में सबसे अधिक है, इसके बाद **नागी पक्षी अभयारण्य में 6,938 पक्षी** पाए गए।
- इन स्थलों को **5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस** के अवसर पर **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि घोषित** किया गया।

रेड-क्रेस्टेड पोशर्ड (Red-Crested Pochard)

- रेड-क्रेस्टेड पोशर्ड (***Netta rufina***) एक बड़ी डाइविंग बत्तख है।
- इसका **प्रजनन आवास दक्षिणी यूरोप** में निम्नभूमि के दलदल और झीलें हैं तथा यह **काला सागर के मैदानी एवं अर्द्ध-मरूभूमियों** से लेकर **मध्य एशिया व मंगोलिया तक** विस्तृत है। जहाँ ये प्रजाति **भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका में सर्दियों के दौरान प्रवास** करते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट- **कम चिंतनीय**
  - CITES- **परिशिष्ट II**

नोट :

बिहार में सतत् विकास

चर्चा में क्यों ?

कॉर्नेल विश्वविद्यालय में **टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन (TCI)** के अनुसार, बिहार **कृषि क्षेत्र** में तीन परिवर्तनकारी तकनीकों को लागू करके **सतत् विकास** की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

मुख्य बिंदु:

- नीति संक्षिप्त में इस बात पर बल दिया गया है कि बिहार **चावल उत्पादन और पशु-पालन** से जुड़े **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन** को कम कर सकता है, उत्पादकता को बनाए रखते हुए यहाँ तक कि सुधार भी कर सकता है।
- नीति संक्षिप्त में TCI की **शून्य-भूख, शून्य-कार्बन खाद्य प्रणाली परियोजना** के भीतर किये गए एक अध्ययन पर चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता के स्तर को बनाए रखते हुए बिहार में कृषि उत्सर्जन को कम करने की रणनीति विकसित करना है।
  - भारत के GHG उत्सर्जन में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का योगदान 20% है, जिसमें बिहार **कुपोषण** से प्रभावित राज्यों में से एक है, खासकर छोटे बच्चों में।
- TCI शोध के अनुसार, बिहार **धान की कृषि के लिये वैकल्पिक नमी और शुष्कता, मवेशियों के प्रजनन के लिये उन्नत कृत्रिम गर्भाधान** तथा अपने **पशुधन क्षेत्र में एंटी-मीथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट्स** को अपनाकर प्रत्येक वर्ष 9.4-11.2 मीट्रिक टन उत्सर्जन कम कर सकता है।
- शोध से पता चलता है कि वैकल्पिक नमी और शुष्कता, उन्नत प्रजनन तकनीक तथा **एंटी-मीथेनोजेनिक फीड** बिहार को उत्पादकता को नुकसान पहुँचाए बिना अपने कृषि उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
  - **नीति में बिहार के चार कृषि जलवायु क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिये उत्सर्जन में कमी का विवरण प्रस्तुत किया गया। वैकल्पिक नमी और शुष्कता के लिये बिहार के दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में सबसे अधिक संभावित शमन स्तर हैं।**
  - **बिहार के चार कृषि जलवायु क्षेत्र:** ज़ोन-I, उत्तरी जलोढ़ मैदान, ज़ोन-II, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, ज़ोन-III A दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और ज़ोन-III B, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान।

नोट: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एंटी-मीथेनोजेनिक फ़ीड सप्लीमेंट **'हरित धारा'** (HD) विकसित किया है, जो **मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम** कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन भी बढ़ सकता है।

बिहार के लिये विशेष श्रेणी का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से **विशेष श्रेणी का दर्जा** दिये जाने की **राज्य की पुरानी मांग को दोहराया।**

- इस दर्जे से बिहार को **केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व में वृद्धि** होगी।

मुख्य बिंदु:

- मुख्य चिंताओं में से एक **बिहार की प्रति व्यक्ति आय का कम होना** है, जो देश में सबसे कम ₹60,000 के आस-पास है। इसके अलावा, राज्य **विभिन्न मानव विकास संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे** है।
- इसके अलावा, बिहार की राजकोषीय स्थिति पर **राज्य के विभाजन जैसे कारकों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा** है, जिसके कारण उद्योग झारखंड के हिस्से में चले गए, सिंचाई के लिये पर्याप्त जल संसाधनों की कमी और लगातार प्राकृतिक आपदाएँ आईं।
- बिहार के वर्ष 2022 के जाति आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि **राज्य के लगभग एक तिहाई लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।**
  - वर्ष 2023 में, बिहार सरकार ने अनुमान लगाया कि विशेष श्रेणी का दर्जा दिये जाने से राज्य को **94 लाख करोड़ गरीब परिवारों के कल्याण पर खर्च करने के लिये** पाँच वर्षों में अतिरिक्त **2.5 लाख करोड़ रुपए** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नोट :

- ऐतिहासिक रूप से, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को **कमज़ोर कानून व्यवस्था के कारण वृद्धि में धीमी गति** तथा **उच्च गरीबी स्तर** का सामना करना पड़ा, जिससे विकास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले निवेश हतोत्साहित हुए।
- लेकिन अब, देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में न्यूनतम बिंदु से प्रारंभ करने के बावजूद, **बिहार ने हाल के वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय के स्तर** और अपनी **समग्र अर्थव्यवस्था के आकार को तेज़ गति से बढ़ाने में सफलता प्राप्त की** है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2022-23 में बिहार का **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** राष्ट्रीय औसत 7.2% के मुकाबले 10.6% बढ़ा, जबकि वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय का स्तर वर्ष 2023 में 9.4% बढ़ा।

विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status- SCS)

- **परिचय:**
  - विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक प्रतिकूलताओं के आधार पर विकास में सहायता के लिये दिया जाता है।
  - यह योजना पाँचवें **वित्त आयोग** की सिफारिश पर **वर्ष 1969 में शुरू की गई थी।**
- **राज्य को विशेष दर्जा देने के लिये विचारणीय कारक:**
  - पहाड़ी और दुर्गम
  - कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थान
  - आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन
  - राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये **'विशेष श्रेणी का दर्जा'** समाप्त कर दिया है।
- **विशेष दर्जा प्राप्त राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड।

मादक पदार्थों की तस्करी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में त्रिपुरा-मिज़ोरम अंतर-राज्यीय सीमा के पास **26 किलोग्राम से अधिक गांजा के साथ दो कथित महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया।**

- दोनों महिलाओं पर **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985** के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुख्य बिंदु:

- NDPS अधिनियम, 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी **मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से रोकता** है।
  - **NDPS अधिनियम, 1985** के एक प्रावधान **के तहत मादक औषधियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष** भी बनाया गया था, ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।
- मादक पदार्थों की तस्करी से तात्पर्य **अवैध व्यापार** से है **जिसमें अवैध औषधियों की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल है।**
  - इसमें कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक औषधियों के उत्पादन के साथ-साथ इन पदार्थों के परिवहन तथा वितरण सहित अवैध ड्रग व्यापार से जुड़ी **कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।**
  - नशीली दवाओं की तस्करी **आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित** होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों में फैली हुई है।

नोट :

कैनबिस

नोट :

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, कैनबिस एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कैनबिस सैटाईवा नामक पादप की कई मन:प्रभावी गुणों को दर्शाने के लिये किया जाता है।
  - WHO के अनुसार, **कैनबिस** विश्व में अब तक की **सबसे व्यापक रूप से खेती, तस्करी और दुरुपयोग की जाने वाली अवैध औषधि** है।
  - कैनबिस की अधिकांश प्रजातियाँ द्विलिंगी पादप हैं जिन्हें नर या मादा पादप के रूप में पहचाना जा सकता है। परागण रहित मादा पौधों को हशीश कहा जाता है।
- कैनबिस में प्रमुख मन:प्रभावी घटक **डेल्टा9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC)** है।

NEET लीक विवाद

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके कारण **दोबारा परीक्षा** कराने और **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** से जाँच कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

- **आर्थिक अपराध इकाई (EOU)** ने खुलासा किया है कि बिहार में **NEET के उम्मीदवारों** ने लीक हुए परीक्षा पेपर के लिये 30 लाख रुपए तक का भुगतान किया है।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय** NEET से संबंधित **कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है,** हालाँकि उसने परिणामों के आधार पर प्रवेश के लिये काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है।
  - यह **खुला घोटाला परीक्षा प्रणाली** में गहरी जड़ें जमाए हुए मुद्दों को उजागर करता है और सुधार व जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET),** जिसे पहले **अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT)** के नाम से जाना जाता था, भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS तथा BDS कार्यक्रमों के लिये योग्यता परीक्षा है।
- इसे वर्ष 2013 में **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** द्वारा शुरू किया गया था और अब इसे **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - NTA **की स्थापना भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।**
  - यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु **एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन** है।

नालंदा विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों

भारत के प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में **नालंदा विश्वविद्यालय** के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना **भारत** और **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)** देशों के बीच **संयुक्त सहयोग** के रूप में की गई है।
- यह परिसर एक '**नेट ज़ीरो**' ग्रीन परिसर है। यह एक सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिये जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ क्षेत्रफल वाले जल निकाय एवं कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के लैस और आत्मनिर्भर है।
- **लगभग 1600 वर्ष पूर्व** स्थापित **मूल नालंदा विश्वविद्यालय** को **विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक** माना जाता है।

नोट :

- **नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष/खंडहरों** को **संयुक्त राष्ट्र धरोहर स्थल** घोषित किया गया।
- **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन:**
  - **EAS** की स्थापना **वर्ष 2005** में **दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)** के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी।
  - **EAS हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में एकमात्र **नेतृत्वकारी मंच** है जो सामरिक महत्त्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये सभी प्रमुख साझेदार राष्ट्रों को एक साथ संगठित करता है।
  - EAS **स्पष्टता, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, ASEAN की केंद्रीयता तथा प्रेरक शक्ति के रूप में ASEAN** की भूमिका के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कोटा वृद्धि को रद्द किया

चर्चा में क्यों ?

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में **सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने** के बिहार सरकार के निर्णय को बदल दिया।

मुख्य बिंदु:

- बिहार सरकार ने दो आरक्षण विधेयकों, अर्थात् **बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023** और **बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023** के लिये एक **राज-पत्र अधिसूचना** जारी की है
- ये विधेयक वर्तमान आरक्षण प्रतिशत को **50% से बढ़ाकर 65% कर देंगे,** जिसके परिणामस्वरूप **राज्य में कुल आरक्षण कोटा 75% तक पहुँच जाएगा, जब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये अतिरिक्त 10% शामिल किया जाएगा।**
- ये संशोधन **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ** मामले में पारित **सर्वोच्च न्यायालय** के निर्णय का उल्लंघन है, जिसमें अधिकतम सीमा **50%** निर्धारित की गई थी।
- कोटा वृद्धि भी भेदभावपूर्ण प्रकृति की थी तथा **अनुच्छेद 14,15 और 16** द्वारा नागरिकों को प्रदत्त **समता के मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन था।

इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992

- सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिये 27% आरक्षण बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु 10% सरकारी नौकरियों के लिये सरकारी अधिसूचना को लागू किया।
- इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा कि **संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों को भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं** होना चाहिये।
- इस निर्णय में **'क्रीमी लेयर'** की अवधारणा को भी महत्त्व दिया गया और प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होना चाहिये तथा पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिये।

मौलिक अधिकार

- **अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता**
  - इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में **किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण** से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - **प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है।** इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात् **संवैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति** सम्मिलित है।

नोट :

- **अनुच्छेद 15: भेदभाव पर रोक**
  - इसमें प्रावधान है कि **राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा।**
- **अनुच्छेद 16: सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता**
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन **किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।**

बिहार में पुल ढहा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के **पूर्वी चंपारण ज़िले** में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया, जिससे राज्य में एक सप्ताह में यह तीसरी ऐसी घटना हो गई।

मुख्य बिंदु:

- घोड़ासहन प्रखंड में एक नहर पर 16 मीटर लंबे पुल का निर्माण **ग्रामीण निर्माण विभाग (Rural Works Department- RWD)** द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था।
  - अधिकारियों के अनुसार, गंभीर मामला सामने आने के कारण **विभागीय जाँच** शुरू कर दी गई है तथा ज़िम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  - यह घटना राज्य के **सिवान और अररिया ज़िले** में हुई दो ऐसी ही घटनाओं के बाद हुई है।

महागठबंधन शासन के दौरान दी गई संविदा रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में** पेयजल आपूर्ति **के लिये** पिछली **'महागठबंधन' सरकार द्वारा दिये गए 826 करोड़ रुपए के 350 संविदाओं को रद्द कर दिया।**

मुख्य बिंदु

- **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** द्वारा की गई जाँच में पता चला है कि **संविदाकार चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं** के कारण ये संविदा रद्द कर दी गई थी।
- सूत्रों के अनुसार, **बाँका ज़िला इस सूची में सबसे ऊपर है,** जहाँ ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित सबसे अधिक 106 संविदा रद्द कर दी गई हैं, इसके बाद जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद और आरा का स्थान है।
  - स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, ग्रामीण कार्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राज्य की पिछली महागठबंधन सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (Public Health Engineering Department- PHED)

- यह एक सरकारी एजेंसी है जो जनता को **सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार है।**
- यह **सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर** बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बिहार में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिये सख्त कानून लाएगी।

- नया कानून **राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र** में विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार ने पहले ही **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024** को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।

मुख्य विशेषताएँ:

- केंद्र सरकार ने पहले ही **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024** को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - यह अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है, जैसे- पेपर लीक, फर्ज़ी वेबसाइटों का प्रयोग और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।
  - यह सख्त दंड निर्धारित करता है, जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष के कारावास की अवधि और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
  - यह परीक्षा संचालन के लिये लगे सेवा प्रदाताओं को 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष के प्रतिबंध के साथ उत्तरदायी ठहराता है।
  - यह अधिनियम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं सहित केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा।

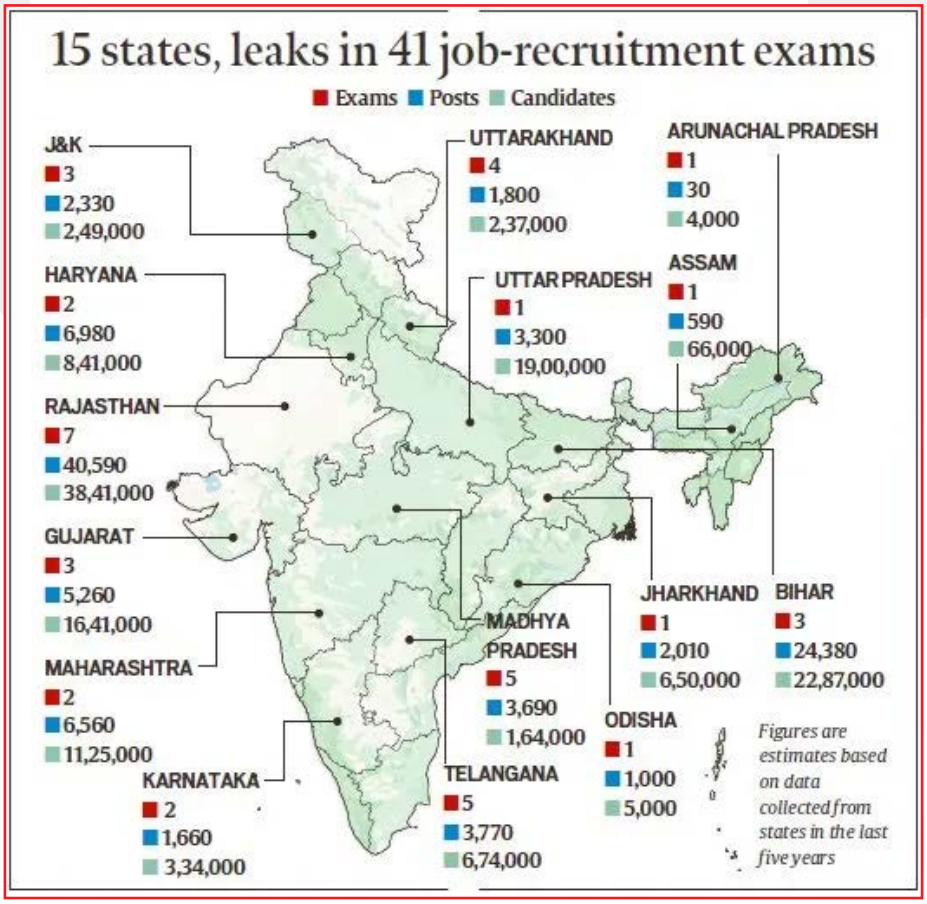

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :